S.V.B. SOLAN

H.P.POLICE/हिमाचल प्रदेश पुलिस
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिता के तहत)

1. District (ज़िला): STATE VIGILANCE AND   P.S.(थाना): SOLAN   Year(वर्ष): 2022
   FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0004   Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय): 05/07/2022 16:58 PM

2.

S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	HP PREVENTION OF SPECIFIC CORRUPT PRACTICES ACT, 1983	6
2	HP PREVENTION OF SPECIFIC CORRUPT PRACTICES ACT, 1983	8
3	HP PREVENTION OF SPECIFIC CORRUPT PRACTICES ACT, 1983	9
4	IPC 1860	420
5	IPC 1860	465
6	IPC 1860	468
7	IPC 1860	471
8	IPC 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन):   Date From(दिनांक से):   Date To(दिनांक तक):
      Time Period (समय अवधि):   Time From (समय से):   Time To (समय तक):
   (b) Information received at P.S.(थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date(दिनांक): 05/07/2022   Time (समय): 16:37 PM
   (c) General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ): Entry No.(प्रविष्टि सं.): 018   Time (समय): 05/07/2022 16:37 PM
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा):   Beat No(बीट सं.) :
      (b) Address(पता):
      (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
         Name of P.S(थाना का नाम):   District(State)(जिला(राज्य)):
6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
   (a) Name(नाम): SI Jeet Ram
   (b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष):   (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA
   (e) UID No (यूआईडी सं.):
   (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
      Date of Issue (जारी करने की तिथि):   Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)

   (h) Occupation (व्यवसाय): GOVT. OFFICIAL NON-GAZETTED
   (i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	VILLAGE-PS SV and ACB Solan , PS-SOLAN, DISTRICT-STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	Permanent Address	VILLAGE-PS SV and ACB Solan , PS:SOLAN, DISTRICT-STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/ संदिग्ध /अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Parmanent Address (स्थाई पता)
1	Unknown1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ती के प्रकार)	Nature Property (प्रकृति संपति)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु मे)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

सेवा में,प्रभारी,थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो,सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0।विषयः- शिकायत पत्र संख्या SV&ACB (Rdr-SR) Comp.(SLN)39/2020-2647 दिनांक 18-06-2020 की जाँच रिपोर्ट पर अभियोग पंजीकृत करने हेतु।महोदय,श्री शैलेन्द गुप्ता पुत्र स्व0 श्री के0एल0गुप्ता निवासी सुधालॉज, हॉस्पीटल रोड़ सोलन तत्कालीन नामित पार्षद नगर परिषद सोलन,जिला सोलन, हि0प्र0 ने दिनांक 12-06-2020 को थाना सतर्कता सोलन में उपरोक्त शिकायत पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें आरोप लगाए हैं कि नगर परिषद सोलन के ठेकेदार श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा वर्ष 2019 में जून महिने के अन्तिम सप्ताह में वार्ड नं09 सोलन में दुर्गा कल्ब सोलन के समीप नगर कमेटी पार्किंग का कंकरीट वर्क बिना निर्धारित मापदण्ड व घटिया गुणवत्ता का किया गया है तथा नगर परिषद सोलन के कार्यालय द्वारा ठेकेदार द्वारा घटिया कंकरीट कार्य करने पर व कुछ कार्य न करने यानी गटका न डालने के बावजूद भी ठेकेदार को उसके एवज में सरकारी धनराशि देकर सरकारी धन का दुरूपयोग किया गया है। उक्त शिकायत पत्र पुलिस अधीक्षक रा0स0 एवं भ्र0रो0 ब्यूरो, द0ख0 शिमला से आरोपों के सत्यापन हेतु थाना रा0स0 एवं भ्र0रो0 ब्यूरो सोलन में प्राप्त हुआ। इस शिकायत पत्र की सत्यापन मन उ0नि0 द्वारा किया गया।सत्यापन के दौरान नगर परिषद सोलन के रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि नगर परिषद सोलन के कार्यकारी अधिकारी द्वारा कार्यालय के पत्र क्रम सं0 UD-SLN(A)-TEN(5) 20/2019 -2865-2866 दिनांक 02-09-2019 के माध्यम से 14 कार्य करने के लिए Short Notice Inviting Tender का प्रकाशन किया गया। इसमें क्रम सं0 4,5,6 पर Special Repair& Maintenance of M.C. Parking in ward No. 9 opposite S.E. office Solan 32.00x20.00M,open sky के पार्किंग के एक ही मुरम्मत कार्य को 03 भागों में विभाजित करके निविदाएं आमन्त्रित की गई। इस कार्य के लिए तीन ठेकेदारों श्री वीरेन्दर ठाकुर, श्री विवेक ओबराय व श्री चमनलाल द्वारा टैंडर भरे जाने पाए गये । नगर परिषद सोलन द्वारा उक्त निविदाओं को admit किया और पार्किंग के उपरोक्त तीनों कार्यो को श्री वीरेन्दर कुमार ठाकुर ठेकेदार को यानि कार्य नं0 1 को पत्र संख्या UD-SLN(A)-TEN(5)20/2019-3258 दिंनाक 03.10.2019 के तहत 98213/- रु0 मे, कार्य नं0 2 व 3 को पत्र स0 3256 दिनाक 03.10.2019 व 3257 दिंनाक 03.10.2019 के तहत 1,94,680/-व 1,94,680/- रु0 में आंबटित कर दिया गया।रिकार्ड के मुताबिक नगर परिषद द्वारा टैंडर प्रक्रिया माह सितम्बर व अक्तुबर, 2019 में पूर्ण की गई। नगर परिषद सोलन के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी श्री ललित कुमार द्वारा टैंडर/निविदाएं आमन्त्रण के लिए पत्र संख्या UD-SLN(A)-TEN(5)20/2019-2865-2866 दिनांक 02-09-2019 जारी करना पाया गया। इस कार्य की Detail of Measurement नगर परिषद सोलन के कनिष्ट अभियन्ता श्री सुनील कुमार मेहता द्वारा तैयार की गई । उपरोक्त तीनों कार्यो का Work Award letters कार्यकारी अधिकारी श्री ललित कुमार द्वारा ठेकेदार वीरेन्दर ठाकुर को दिनांक 03-10-2019 को जारी किए गए। श्री सुनील कुमार मेहता,कनिष्ट अभियन्ता नगर परिषद सोलन द्वारा दिनांक 21 व 22-01-2020 को उपरोक्त मुरम्मत कार्य नम्बर 1 व 2 की MB (माप पुस्तिका) भरी जानी पाई गई। सत्यापन पर निविदा दस्तावेज-निविदा प्रपत्र/आवेदन एवं तुल्नात्मक विवरणियां नगर परिषद सोलन के तत्कालीन Chairman श्री डी.के. ठाकुर, कार्यकारी अधिकारी श्री ललितकुमार, सहायक अभियन्ता (नगर परिषद ईंजीनियर) श्री प्रमोद कुमार आर्य व कनिष्ठ अभियन्ता श्री सुनील मेहता द्वारा हस्ताक्षरित पाई गई । कनिष्ठ अभियन्ता नगर परिषद सोलन द्वारा MB(माप पुस्तिका)में कार्य नं01 पर मु0

98213/-व कार्य नं02 को 1,94,556/-रु0 का कार्य करना अंकित किया जाना पाया गया। नगर परिषद द्वारा ठेकेदार को मुताबिक MB के सिक्योरिटी की राशी छोडकर दोनों कार्यों की धनराशी की अदायगी कर दी जानी पाई गई जबकि तीसरे कार्य की कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा MB भरी जानी नहीं पाई गई। तीसरे कार्य की अदायगी ठेकेदार को की जानी नहीं पाई गई । सत्यापन के दौरान लो0नि0वि0 हि0प्र0 की टेकनीकल टीम द्वारा पार्किंग के उक्त कंकरीट वर्क का मौका पर मुल्यांकन (Assessment) किया गया । इस मुल्यांकन रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्य में कुछ जगह पर गटका Over sized पाया जाने पर उसकी कीमत मुल्यांकन में कम आंकी गई है। हि0प्र0 लो0नि0वि0 की तकनीकि टीम द्वारा किए गए मुल्यांकन में कार्य नं01 का आंकलन मु0 97,160/- रु0 व कार्य नं0 2 का आंकलन मु0 1,13,516/- रु0 का किया गया तथा तकनीकि कमेटी द्वारा कार्य नं0 3 को भी मौका पर पूर्ण होना तैहरीर करते हुए इस कार्य का आंकलन मु0 1,47,378/-रु0 किया है। इस प्रकार नगर परिषद सोलन द्वारा कार्य नं0 1 व 2 के ठेकेदार वीरेन्दर सिंह को मु0 82,093/-रु0(1053/-+81040/-) अधिक भुगतान किये गये।सत्यापन के दौरान शिकायत कर्ता श्री शैलेन्दर गुप्ता, कार्य करवाने वाले ठेकेदार श्री वीरेन्टर ठाकुर, पार्किंग ठेकेदार श्री सुरेश ठाकुर,(पार्किंग से गाडियों से शुल्क वसुलने वाले ठेकेदार), माता शूलिनी की जागरण सीमिति के कुछ स्थानीय सदस्यों से तथा स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई।जिससे पाया गया कि वार्ड नं0 9 सोलन में दुर्गा कल्ब सोलन के समीप नगर परिषद सोलन पार्किंग जिसे शूलिनी माता पार्किंग भी कहा जाता है, का उक्त कंकरीट वर्क (मुरम्मत कार्य) प्रशासन के कहने पर नगर परिषद सोलन द्वारा वर्ष 2019 में जून माह में शुलिनी माता मेले से ठीक पहले एक ही साथ करवाया जाना पाया गया क्योंकि इस पार्किंग में शुलिनी माता के मेले के दौरान माता की झांकी, जागरण भण्डारे तथा उदघाटन आदि का आयोजन होना था। इस दौरान इस पार्किंग स्थल से मिट्टी आदि उठवाकर पार्किंग में गटका बिछाने व सिमेंट, रेत व बजरी का फर्श डलवाने का कार्य करना बतलाया गया। उक्त ठेकेदार द्वारा कार्य के वक्त पार्किंग में कुछ हिस्से में मोटा गटका बिछाना भी पाया गया। ठेकेदार द्वारा उस वक्त इस समूचे कार्य को (यानि बाद के तीनों टैंडरो में आंबटित तीनों कार्यो को) एक ही समय में करवा दिया था। पार्किंग में सीमेंट व ककरीट फर्श डालने के तुरन्त एक दिन बाद ही माता शुलिनी की झांकी की गाडियां पार्किंग मे जाने से पार्किंग का ताजा डाला गया फर्श कुछ जगह से उखड गया। सत्यापन के दौरान यह भी पाया गया कि पार्किंग के ठेकेदार (गाडियां पार्क करने का शुल्क लेने वाला ठेकेदार) श्री सुरेश ठाकुर द्वारा दिनांक 27-06-2019 को कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सोलन को एक आवेदनपत्र दिया गया था जिसके तहत अनुरोध किया गया था कि उक्त पार्किंग मुरम्मत का कार्य (Matling work) करने के कारण दिनांक 15-06-2019 से 23-06-2019 तक बन्द रही जिसमें मुरम्मत का कार्य (Matling work) दिनांक 15-06-2019 से 17-06-2019 तक हुआ था एवं इस पार्किंग में जागरण व भण्डारा 18,19-06-2019 को हुआ था और फिर मुरम्मत के कारण यह पार्किंग बन्द रही। जिस कारण उक्त ठेकेदार द्वारा नगर परिषद से इतने दिनों के अनुपात में पार्किंग शुल्क में रियायत देने की मांग की गई । इससे भी स्पष्ट हुआ है कि उपरोक्त पार्किंग का मुरम्मत कार्य जुन, 2019 में ही यानि टैंडर प्रक्रिया अपनाने से पहले ही किया गया है।

सत्यापन पर यह भी पाया गया कि उपरोक्त कार्य को करवाने के लिए नगर परिषद सोलन द्वारा नगर परिषद के जरनल हाउस में कोई प्रस्ताव डालना नही पाया गया और न ही किसी सक्षम अधिकारी द्वारा इस कार्य को करवाने के लिए कोई लिखित आदेश जारी करना पाये गए। इस प्रकार सत्यापन पर पाया गया कि वार्ड नं0 9 सोलन में दुर्गा कल्ब के समीप स्थित नगर कमेटी पार्किंग(opposite S.E. office) जिसे शुलिनी पार्किंग भी कहा जाता है के मुरम्मत कार्य /कंकरीट कार्य को स्थानीय प्रशासन के जुबानी आदेशों के आधार पर नगर परिषद सोलन के ठेकेदार श्री विरेन्द ठाकुर पुत्र श्री ईन्दर सिंह निवासी ग्राम रवाला डा0 देवठी तहसील सोलन जिला सोलन, हि0प्र0 द्वारा माह जून 2019 में माता शुलिनी मेला के ठीक पहले बिना टैंडर प्रक्रिया से वितीय नियमो की उल्लंघना करके एक ही समय में करवाया जाना पाया गया। नगर परिषद सोलन द्वारा इस कार्य की धोखे से झूठी टैंडर प्रक्रिया करके बाद में झूठे दस्तावेज तैयार करके माह सितम्बर व अक्तुबर 2019 में पूर्ण की जानी पाई गई जिसमें नगर परिषद द्वारा कुल बजट मु0 4,87,573/-रु0 के इस कार्य को 3 भागों में विभाजित (Split) दर्शा करके निविदाएं आमान्त्रित की। जिससे स्पष्ट होता है कि ई-मेल टैंडरिंग /ऑन लाईन टैन्ड्रिंग से बचने के लिए एक ही कार्य को तीन भागों में बांटा गया है। ठेकेदार विरेन्दर ठाकुर द्वारा कार्य को पहले करवाने के बाद इसी कार्य के झूठे टैडर भरे गए तथा नगर परिषद सोलन के कार्यकारी अधिकारी (E.O.)ललित कुमार द्वारा इस झूठी निविदाओं को स्वीकार करके उक्त कार्य को उसी ठेकेदार श्री वीरेन्टर कुमार ठाकुर के पक्ष में एक ही तिथी को यानि 03-10-2019 को अवार्ड करना दर्शाया है। नगर परिषद सोलन के कनिष्ट अभियन्ता श्री सुनील कुमार मेहता द्वारा इस झुठी टैंडर प्रक्रिया में Detail of Measurement तैयार किया तथा दिनांक 21,22-01-2020 को उपरोक्त मुरम्मत कार्य न0 1 व 2 की गलत MB (माप पुस्तिका) बाद में भरी। जिसके मुताबिक ठेकेदार श्री विरेन्दर ठाकुर को इन दोनों कार्यो की धनराशी की अदायगी कर दी गई जो कि हि0प्र0 लो0नि0वि0 की तकनीकि टीम द्वारा किए गए मुल्यांकन के मुताबिक नगर परिषद सोलन द्वारा इन दोनों कार्यो के ठेकेदार श्री वीरेन्दर कुमार ठाकुर को मु0 82,093/-रु0 अधिक भुगतान किया गया। जिससे वीरेन्दर ठाकुर ठेकेदार को इन दोनो कार्यो में सरकारी खजाने से 82093/- रु0 का अनुचित लाभ हुआ तथा सरकार को अनुचित हानि हुई है। प्रथम दृष्टया श्री शैलेन्दर गुप्ता द्वारा दिए गये शिकायतपत्र दिनाक 12-06-2020 व सत्यापन जाँच से इस कृत्य को करने में नगर परिषद सोलन के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी श्री ललित कुमार व कनिष्ठ अभियन्ता श्री सुनील मेहता व ठेकेदार श्री वीरेन्दर ठाकुर की संलिप्तता व मिलीभगत पाई जा रही है। नगर परिषद सोलन के कनिष्ठ अभियन्ता श्री सुनील मेहता का कृत्य धारा 6 व 9 HP Prevention of Specific Corrupt Practices Act 1983, नगर परिषद सोलन के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी(E.O.)श्री ललित कुमार का कृत्य धारा 9 HP Prevention of Specific Corrupt Practices Act 1983, ठेकेदार वीरेन्दर ठाकुर का कृत्य धारा 8 HP Prevention of Specific Corrupt Practices Act 1983 के साथ-साथ इन तीनों का उपरोक्त कृत्य अपराध धारा 420,

465,468,471,120B IPC की जद में भी आना पाया गया है। इस प्रकरण में नगर परिषद सोलन के अन्य अधिकारियों की संलिप्तता एवं मिलीभगत की गहन पड़ताल अभियोग पंजीकृत होने के बाद अन्वेषण के दौरान की जाएगी। इस सम्बन्ध में सतर्कता मुख्यालय हि0प्र0 शिमला से भी पत्र सं0 SV&ACB(Rdr-SR-HQ)Comp.(SLN)39//SR/20-13081 दिनांक 23-06-2022 के द्वारा नगरं परिषद सोलन के उपरोक्त अधिकारियों व सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने के आदेश प्राप्त हुए हैं। अतः इस सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया जाये।संलग्न : नस्ति सत्यापन रिपोर्ट- -sd-(जीतराम) उप-निरीक्षक/जाँच अधिकारी थाना सतर्कता सोलन हि0 प्र0। दिनांक: -05-07-2022 कार्यवाही पुलिस जिस पर अभियोग संख्या 04/2022 दिंनाक 28.06.2022 जुर्म जेर धारा 420,465,468,471,120B IPC व धारा 6,8,9 HP Prevention of Specific Corrupt Practices Act 1983 पंजीकृत थाना किया गया । मिसल मुक्दमा आगामी तफ्तीश हेतू नि0 संदीप शर्मा को दी जा रही है । छायाप्रति FIR माननीय अदालत / अफसरान बाला को अलग से भेजी जा रही है ।

13. **Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2.में उल्लेख धारा के तहत है |):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):(जांच अधिकारी का नाम): Sandeep Sharma **Rank (पद):** INSP. (Inspector)
No(सं.): s24365 **to take up the Investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)**

(3) Refused investigation due to(जांच के लिए):
or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. **District(ज़िला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम): Shweta Thakur
Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)
No(सं.): 12345

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):